FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

दिनेश कुमार वगै0 बनाम अंजू वगै0

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा **मु0नं0** 139 **सन्** **2025 जीसीएमएस नं.** 2025/272

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादिगण की ओर से श्री राम गोपाल शर्मा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक **05.06.2025** को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
05/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे प्रतिवादीगण की वादीगण के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। तथा प्रतिवादी सं0 17 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकील वादीगण का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि:– **आदेश** तहसीलदार नीमकाथाना मय ग्राम राजस्व पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 272/2 रकबा 0.57 है0 पर विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका–निरिक्षण कर निम्न शर्तो को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:– 1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व हुक्म में जा...

तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हैं तो ''बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के सिद्वान्त पर पृथक्–पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में लाल सूर्ख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।

(Seal: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

24/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ... अदालती कार्य ... पत्रावली पूर्व ... दिनांक 28/7/25 को पेश हो।

28/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ... अदालती कार्य से ... है। पत्रावली पूर्व ... दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

GCMS-2025/272

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी दिनेश कुमार बनाम अंजू आदि मु.सं. 139/2025**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05-08-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादीगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादीगण तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.08.28 12:27:37 IST Reason: Self Attested (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. दिनेश कुमार पुत्र गुरूदयाल वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. अंजू पुत्री रामावतार वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 139 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज......................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 05 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...........
ओहदा...............

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशन		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
वाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested